न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. निर्णय दिनांक :– 10-12-19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी0पी0सी

उनवान

भगवान सहाय चौधरी व अन्य बनाम अर्जुनलाल मीणा व अन्य

प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का इस प्रकार पेश किया गया उपरोक्त वर्णित दावा वादीगण भगवान सहाय चौधरी व अन्य ने ग्राम गोरधनपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.70 हैक्टे0 के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र में वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त की किस्म गैर मुमकिन आबादी होना अंकित करते हुये उक्त भूमि पर अपना कब्जा तथा कच्चे खाम बाड़े व कच्चे मकानात होना अंकित करते हुये प्रस्तुत किया है द्य ऐसा दावा चूंकि स्वयं वाद पत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर ही कृषि भूमि से संबंधित नहीं है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं है और इस प्रकार वादागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी स्वीकार किया हैं कि उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा का आबादी विस्तार हेतु दी हुई है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

और इस प्रकार वादीगण ने वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त को अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि ना होना स्वीकार करने के पश्चात भी मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादीगण भूमि विवादग्रस्त के दर्ज खातेदार–कृषक नहीं हैं ऐसी स्थिति में जब तक वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के सम्बन्ध में अनुतोष ना चाहा जावे तब तक मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत दावा चल नहीं सकता और इसलिये भी वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्तनीय है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में मुख्यतः यह अंकित किया है कि "पूर्व में ग्राम की आबादी भूमि खसरा नम्बर 161, 162 व 163 में गैर मुमकिन बाड़ा व वादीगण के कच्चे मकान व खाम बाड़े बने हुये थे, वहाँ पर वादीगण वर्षों से रिहायशी कर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे थे, बाद में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना, रिंग रोड़ परियोजना में उक्त आबादी भूमि आ गई है जिसे राज्य सरकार के मार्फत प्रतिवादी संख्या 3 (जयपुर विकास प्राधिकरण) ने अवाप्त कर लिया जिसके मुआवजे के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को दी गई। यद्यपि उक्त कथन पूर्णतः गलत है परन्तु फिर भी उक्त अभिवचन अंकित करने के पश्चात भी वादीगण ने अपने वाद पत्र में ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को पक्षकार प्रतिवादी ही नहीं बनाया है और उक्त वाद में अर्जुनलाल मीणा को ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सरपंच होने के आधार पर निजी रूप से पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को नियगानुसार दी गई भूमि के संबंध में, ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को पक्षकार प्रतिवादी बनाये बिना प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण वाद पत्र में वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त पर अपना तथाकथित रिहायश के रूप में तथाकथित कब्जा होना अंकित करते हुये अपने–आपको भूमि विवादग्रस्त पर मात्र काबिज होना अंकित करते हुये यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अंकित ही नहीं किया है कि उसके भूमि विवादग्रस्त पर किस प्रकार से तथा क्या अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के बाध्य प्रावधानों के अनुरूप राजस्व न्यायालय के समक्ष मात्र एक खातेदार कृषक ही स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है परन्तु वाद पत्र मे वादीगण ने ऐसे कोई अभिवचन अंकित ही नहीं किये हैं जिसके आधार पर वादीगण को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक होना माना जा सके और वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में किसी प्रकार का कोई वाद कारण उल्लेखित नहीं किया है। राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत दावे में वादीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे यह स्पष्टतः अंकित करते कि भूमि विवादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कृषि भूमि है तथा वे भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक है तथा उनका भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा है तथा ऐसे वास्तविक कब्जे में किस प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है जिसके आधार पर वे माननीय राजस्व न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण ने कोई वाद कारण उललेखित ही नहीं किया है और इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, वाद कारण उल्लेखित ना किये जाने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के बाध्य प्रावधानों के अनुरूप राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि भूमि के संबंध में ही दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और चूंकि वाद पत्र में उललेखित कथनानुसार ही भूमि विवादग्रस्त कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उक्त वाद की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र –में जो अनुतोष चाहा है वह "वादग्रस्त सम्पत्ति" के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करने तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे आदि से हस्तांतरित ना करने के संबंध में है और उसके साथ ही वादीगण ने नामांतरकरण संख्या 144 दिनांक 18–6–2018 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा हैं। ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को विधिवत हस्तांतरित की गई भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ नियमानुसार हस्तांतरित करने का पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अधिकार प्राप्त है और विधिक कार्यवाही से वैधानिक संस्था को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने के अनुतोष हेतु प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। 2 यह कि नामांतरकरण संख्या 144 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा मूल खसरा नम्बर 65 रकबा 8.24 हैक्टे0 में से परिवर्तित खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.70 हैक्टे0 किस्म गैर मुमकिन आबादी को ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा के नाम किये गये ना तो कभी कोई चुनौती दी गई और ना ही वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा के नाम तस्दीक किये गये उक्त नामांतरकरण को निरस्त किये जाने का कोई अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत दावे में प्राप्त कर सके और इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष मूल रूप से ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध चाहा गया है परन्तु वादीगण ने वाद पत्र में यह कहीं उल्लेखित ही नहीं किया है कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादीगण ने ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109(1)ए) के तहत तथा प्रतिवादी संख्या 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तहत कोई पूर्व नोटिस ना तो प्रेषित किया है और ना ही ऐसा कोई नोटिस प्रेषित किये जाने का कोई विवेचन अपने वाद

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पत्र में अंकित किया है। बाध्य प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया वाद पत्र विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये तथा गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये यह दावा उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद कारण उल्लेखित ना किये जाने की वजह से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानो के अनुरूप निरस्त फरमाया जावे। इसी प्रकार एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का दिनांक 18.09.2019 करे भी पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी/वादी को दी गयी तो अप्रार्थी/वादी वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर सीधे ही बहस किये जाने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत के विरूद्ध वाद करने से पूर्व धारा 10 डी पंचायत राज अधिनियम 1974 के तहत दावा दायरी से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना वैधानिक है। व धारा 109 के प्रावधान आदेशात्मक प्रवृति का है। वादग्रस्त भूमि आबादी है तथा ग्राम पंचायत पदमपुरा के रिकार्ड व खातेदारी भूमि है ऐसी सूरत में भी आबादी भूमि से सम्बन्धित मामले श्रीमान के न्यायालय में नही चल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सकते। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अंकित नही किया कि उसके भूमि विवादग्रस्त पर किस प्रकार से क्या अधिकार है रा0 का0 अधिनियम 1955 के बाहय प्रावधानों के अनुरूप राजस्व न्यायालय के समक्ष मात्र एक खातेदार कृषक ही स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है। राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि भूमि के संबंध में ही दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है उक्त भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि है इसलिये रा0 का0 अधि0 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उक्त वाद की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जावे। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कच्चे मकानात व खाम बाडे बने हुये थे जहां पर वादीगण वर्षो से रिहायशी कर उक्त भूमि का उपयोग कर रहे है राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना रिंग रोड परियोजना में उक्त आबादी भूमि आ गयी जिसे राज्य सरकार की मार्फत प्रतिवादी नं0 3 ने आवाप्त कर लिया जिसका मुआवजा प्रतिवादी नं 3 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा को दिया गया जिसके अनुसार वादीगण पूर्व में कब्जे अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी नं0 1 की नियत में खोट आ गयी व उक्त भूमि को टूकडो में गांव के बाहर के लोगो को उच्च दामों पर विक्रय करने पर आमदा है व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

फर्जी पटटे ग्राम पंचायत द्वारा दिलवाने पर आमदा हो रहा है। पूर्व के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन व पटटे के प्रथम अधिकारी वादीगण है। वादीगण ग्राम पंचायत के मूल निवासी है ग्राम गोरधनपुरा के मूल निवासी है मौके पर काबिज है। ऐसे में कानून के अनुसार वादीगण नियमन व पटटे प्राप्त करने के अधिकारी है। कानूनन ग्रम पंचायत या सरपंच किसी भी भूमि का केवल कब्जे के आधार पर नियमन कर सकते है या भूमि मौके पर खाली हो तो राज्य सरकार से आवासीय योजना स्वीकृत करवाकर योजना अनुसार भूखण्डो को निलामी से विक्रय कर सकती है। चारागाह से जो प्रतिवादी संख्या 3 जरिये नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 18.06.2018 जो आदेश किया वो शून्य है निरस्त योग्य है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र व पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो उक्त वाद कृषि भूमि से संबंधित नही है, रा0 टे0 एक्ट 1955 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही है क्योंकि राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि भूमि के संबंध में ही दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उक्त वादी की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है व वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। वादग्रस्त सम्पत्ति के उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपभोग मे बाधा उत्पन्न ना करने व वादग्रस्त सम्पत्ति को पटटे आदि से हस्तान्तरित ना करने के संबंध में है व वादीगण ने नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 18.06.2018 निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है जो ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा को विधिवत हस्तांतरित की गयी भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ नियमानुसार हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और विधिक कार्यवाही से वैधानिक संस्था निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने के प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण ने उक्त अनुतोष ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा व जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध चाहा गया है जो वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादीगण ने ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा को रा0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109(1)ए) के तहत व प्रतिवादी संख्या 3 जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तहत नोटिस नही दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त वाद कृषि भूमि से संबंधित न होकर आवासीय भूमि से संबंधित है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। ग्राम पंचायत के विरूद्ध पेश किया गया है जिसे राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 109(1)ए) व प्रतिवादी संख्या 3 जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 79 के तहत नोटिस नही दिये जाने से प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने से दावा वादी खारिज किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.13 16:34:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: